डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **29/2018** दायर दिनाँक **23.01.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. असगर खान पुत्र अली मोहम्मद खाँ, आयु–60वर्ष, जाति–कायमखानी, निवासी–मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरूखाँ पुत्र अली मोहम्मद खाँ, 2. सलाऊ खाँ पुत्र अली मोहम्मद खाँ, 3. उगमा बानो पत्नी मीरदीन खाँ, 4. अलादीन खाँ दत्तक पुत्र मीरदीन खाँ, 5. उम्मेद खाँ पुत्र फूले खाँ, 6. शौकत खाँ पुत्र फूले खाँ, 7. हाकम अली खाँ पुत्र फूले खाँ, 8. हबीब खाँ पुत्र फूले खाँ, 9. अजरूदीन खाँ पुत्र फूले खाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **05.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ईस्लामुदीन, वकील, वादी व श्री शफी मोहम्मद खाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 05 व 09 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद मावा के वाद वर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी, निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 38 रकबा 13.12 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क "A" रकबा 04.00 बीघा भूमि का वादी को व

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मार्क "B" रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को व मार्क "C" रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व मार्क "E" रकबा 01.06 बीघा भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मार्क "D" रकबा 0.06 बीघा भूमि को रास्ते की भूमि घोषित की जाती है।

2. खसरा नम्बर 272 रकबा 19.06 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क "F" रकबा 11.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को व मार्क "G" रकबा 08.06 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 280 रकबा 03.19 बीघा भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 61 रकबा 0.15 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क "I" रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी को व मार्क "J" रकबा 0.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को तथा मार्क "K" रकबा 0.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.02.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **29/2018** दायर दिनाँक **23.01.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. असगर खान पुत्र अली मोहम्मद खाँ, आयु–60वर्ष, जाति–कायमखानी, निवासी–मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. भँवरूखाँ पुत्र अली मोहम्मद खाँ, 2. सलाऊ खाँ पुत्र अली मोहम्मद खाँ, 3. उगमा बानो पत्नी मीरदीन खाँ, 4. अलादीन खाँ दत्तक पुत्र मीरदीन खाँ, 5. उम्मेद खाँ पुत्र फूले खाँ, 6. शौकत खाँ पुत्र फूले खाँ, 7. हाकम अली खाँ पुत्र फूले खाँ, 8. हबीब खाँ पुत्र फूले खाँ, 9. अजरूदीन खाँ पुत्र फूले खाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री ईस्लामुदीन, वकील, वादी।
2. श्री शफी मोहम्मद खाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 05 व 09 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 29/2018
दायर दिनाँक 23.01.2018, निर्णय दिनाँक 05.02.2018
असगर खान बनाम्, भैंवरूखाँ, वगैरा।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 05.02.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति शरहद मावा में खसरा नम्बर 38 रकबा 13. 12 बीघा, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 272 रकबा 19. 06 बीघा तथा खसरा नम्बर 280 रकबा 03.19 बीघा, अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में खातेदार नजी बानो पत्नी अली मोहम्मद खाँ, मीरदीन खाँ, फूले खाँ हो चुके हैं जिनके वारिशान् पक्षकारान् है। नजी बानो के वारिशान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 है। मीरदीन खाँ के वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 हैं। फूले खाँ के वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 हैं। नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 38, 61, 272 व 280 अवस्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बन्टवारा मुताबिक नजरीनक्शा के हो चुका है। नजरीनक्शा वाद का अभिन्न हिस्सा है।

प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत् बैचाण व की एलानियाँ धमकी देने के बाद दिनाँक 16.01.2018 को खतौनी नकल लेने से वाद हैतुक उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि—

शरहद मावा में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 38 में मार्क ए हिस्सा भूमि रकबा 04 बीघा का वादी के, मार्क बी प्रतिवादी संख्या 01 की रकबा 04 बीघा, मार्क सी प्रतिवादी संख्या 02 की रकबा 04 बीघा, मार्क डी रकबा 0.06 बीघा का सामलाती वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की रास्ते की भूमि, मार्क ई हिस्सा रकबा 01.06 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 का, खसरा नम्बर 272 में मार्क एफ रकबा 11 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 के, मार्क जी रकबा 08.06 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के बन्ट में हो व खसरा नम्बर 280 रकबा 03.19 बीघा भूमि मार्क एच प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 के बन्ट में हो तथा 61 में मार्क आई रकबा 05 बिस्वा भूमि वादी के, मार्क जे के शेष 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 09 का सामिलाती बन्ट की घोषित की

उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी नजरीनक्शा अनुसार घोषित की जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02, 04, 06, 07 व 10 के बावजूद तामिलनी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 05, 08 व 09 तक ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढ़कर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री इस्लामुदीन ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री सफी मोहम्मद ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान् दावानुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी ग्राम मावा सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 191 / 170 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व शरहद मावा में खसरा नम्बर 38 रकबा 13.12 बीघा, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 272 रकबा 19.06 बीघा व खसरा नम्बर 280 रकबा 03.19 बीघा की खातेदारी नजरीनक्शा में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी पक्षकारान् के, पक्षकारान् चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। नजरीनक्शा में दर्शित भूमि अनुसार पक्षकारान् के खातेदारी घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 29/2018
दायर दिनाँक 23.01.2018, निर्णय दिनाँक 05.02.2018
असगर खान बनाम्, भँवरूखाँ, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद मावा के वाद वर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी, निम्नानुसार घोषित की जाती हैः–

1. खसरा नम्बर 38 रकबा 13.12 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क "A" रकबा 04.00 बीघा भूमि का वादी को व मार्क "B" रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को व मार्क "C" रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व मार्क "E" रकबा 01.06 बीघा भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मार्क "D" रकबा 0.06 बीघा भूमि को रास्ते की भूमि घोषित की जाती है।
2. खसरा नम्बर 272 रकबा 19.06 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क "F" रकबा 11.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को व मार्क "G" रकबा 08.06 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 280 रकबा 03.19 बीघा भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 61 रकबा 0.15 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क "I" रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी को व मार्क "J" रकबा 0.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को तथा मार्क "K" रकबा 0.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.02.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner